


फर्द अहकाम

हरदेव बनाम हरदा वगैरे

न्यायालय

केस संख्या 30/2016

प.न.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/8/19	<p>पत्रावली पेश हुई। पं० फ० उप०।                      बहस प्रा० पत्र अस्वादि निषेधाज्ञा                      पर सुनी गई। उच्चपक्ष के अधिकारतागत                      विवाहित आशजी ख० न० 577 रुकवा                      0.20 ₹० की रिफाई व मौके की प्रवृत्ति                      वार के विस्तारण तक बनाये रखने हेतु                      सहमत हैं। पत्रावली का अवलोकन किया                      गया। मूल्य वार घोषणा व डुरुस्ती                      इन्शुआत व स्वादि निषेधाज्ञा का है।                      पक्षकारान के मध्य वार बाहुल्यता-                      शेकने हेतु मूल्य वार के विस्तारण-                      तक उच्चपक्षकारान का विवाहित-                      आशजियात की रिफाई व मौके की                      प्रवृत्ति बनाये रखने हेतु जरिये                      अस्वादि निषेधाज्ञा से पाबन्द किया                      जाता है। पत्रावली केसका सुमार होकर                      रजि नम्बर से कम हो तथा मूल्य वार                      के साथ रहे।</p> <p style="text-align: center;">Duty</p>	 <p style="text-align: center;">Page 2</p>

